तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज रिसीवर–23/11, रमेश चंद वगै0 बनाम विजेन्द्र वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/10/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील सायल ने कहा कि भूमि को गैरसायलान द्वारा खुर्द बुर्द, वेस्ट डेमेज किये जाने का अंदेशा है इसलिए विवादित भूमि को कब्जे राज में ली जाकर रिसीवर नियुक्त किया जावे। जबकि वकील गैरसायलान ने कहा कि भूमि को खुर्द बुर्द, वेस्ट डेमेज नहीं किया जा रहा है एवं वे पूर्व की भाँति की काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रकरणाधीन भूमि से संबंधित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर–07/10 उनवानी सुवा बनाम रमेश चंद वगै0 में उभयपक्षकारान को विवादित भूमि खसरा नंबर 293, 307, 308, 321 ग्राम मेडी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने हेतु ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा चुका है। वैसे भी भूमि को कब्जे राज में लिया जाकर उसको रिसीवराधीन लेना कठोरतम उपचार है। ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र रिसीवर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रिसीवर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	